संख्या-100/2024/I/521181/2024/23-11099(099)/7/2024

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 15/03/2024**

विषय:- जनपद बलिया में गाजीपुर से तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) के चैनेज 20.700 से चैनेज 39.306 के मध्य 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 18.606 किमी0) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2507नि0/146-01नि0/बलिया/भाग-14/23-24, दिनांक 08-01-2024 एवं पत्रांक-2995नि0/प्रमाण पत्र/2023-24, दिनांक 01-02-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं विकास के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था जनपद बलिया में गाजीपुर से तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) के चैनेज 20.700 से चैनेज 39.306 के मध्य 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 18.606 किमी0) कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 33927.48 लाख (रूपये तीन अरब उन्तालीस करोड़ सत्ताईस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	बलिया / प्रा0ख0	जनपद बलिया में गाजीपुर से तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) के चैनेज 20.700 से चैनेज 39.306 के मध्य 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 18.606 किमी0) का कार्य।	33927.48	3000.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय ।

(2) उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय। परियोजना में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टयां करने से पूर्व व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा)) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री दवारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि नियमानुसार भुगतान किया जायेगी।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत कराया जाय।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (18.879 हे0) हेतु लागत रू0 6097.19 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यनूतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकता भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यू0पी0पी0सी0एल0 कार्यो हेतु रू0 579.89 लाख, वन विभाग हेतु रू0 782.27 लाख तथा जल निगम हेतु रू0 328.13 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्यो का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) मार्ग के संरेखण में आने वाले 1033 अद्द पेड़ों का कटान एवं रिसैप्लिंग कराया जाना है। कृपया पर्यावरण की दृष्टि से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पेड़ कटान का कार्य कराया जाय।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में मार्ग पर उपलब्ध पी0सी0यू0 के दृष्टिगत वर्तमान में 2X9.00 मी0 चौड़ाई में ही चौड़ीकरण प्रस्तावित किया गया है परन्तु मार्ग पर पक्के स्ट्रक्चर यथा पुल/पुलियों/नालियों इत्यादि का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों के आधार पर किया जाये, जिससे भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने पर पुल एवं पुलियों को तोड़कर पुन: स्क्सटेंशन करने की आवश्यकता न हो।

(15) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) परियोजना के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा इसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

(18) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अत: परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(20) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायितव विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(23) यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुन: आवश्यकता न हो।

(24) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(25) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) किसी भी कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त करने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

(27) सड़क सुरक्षा संबंधी समस्त प्राविधान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(28) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता (मु0-1) व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं/अधिशासी अभियंता के वेतन/पेंशन से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(30) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, प्रमुख अभियंता(ग्रामीण सड़क), मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 30,00,00,000 (रूपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054043371353 धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं विकास के नये कार्यो की व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-1436-X-2023-24, दिनांक 15-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in